

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में
प्रथम अपीलीय अधिकारी दिलीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक

— 06/2017

श्री सुभाष कुमार यादव

कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 11 दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

जन सूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा

जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

.....रिस्पॉण्डेंट

—आदेश—

(पारित दिनांक 07-07-2017)

- श्री सुभाष कुमार यादव कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 11 दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील, समक्ष में उपस्थित होकर दिनांक 12-06-2017 को प्रस्तुत किया गया।
- अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील शुल्क की राशि 50.00 रू0 चालान क्रमांक 22/08-06-2017 के द्वारा खजाना दाखिल कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपील के साथ अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत दन्तेवाड़ा को प्रस्तुत आवेदन पत्र 05-05-2017, की की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में लेख किया है कि उक्त आवेदन पत्र के द्वारा उन्होंने 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी किन्तु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के बाद भी जन सूचना अधिकारी की ओर से उन्हें जानकारी नहीं दी गई और न ही जानकारी नहीं दिए जाने के कारण से अवगत कराया गया है।
- अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05-05-2017 का अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र के अनुसार उन्होंने निम्नांकित दो बिन्दुओं से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध जन सूचना अधिकारी से किया था :-
 - 1- अनिता मोरला के वाहनों के अधिग्रहण आदेशों की प्रतिलिपि।
 - 2- वाहनों की पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि।
 - 3- समय-समय पर किये गए बीमा संबंधी कागजातों की प्रतिलिपि।
 - 4- परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
 - 5- परिवहन विभाग द्वारा जारी व्यवसायिक उपयोग संबंधी परमिट की प्रतिलिपि।
- उभय पक्ष को सूचना पत्र क्रमांक/3153/दि0 13-06-2017 प्रेषित कर पक्ष समर्थन में जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने दिनांक 30-06-2017 को उपस्थित होने सूचित किया गया।
- प्रकरण की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 30-06-2017 को अपीलार्थी श्री सुभाष यादव तथा जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दन्तेवाड़ा की ओर से स्वच्छता मिशन के परियोजना अधिकारी श्री देवेन्द्र झाड़ी उपस्थित हुए। श्री देवेन्द्र झाड़ी के द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दन्तेवाड़ा के पत्र क्रमांक/1434/दिनांक 29-06-2017 तथा 11 पेज की जानकारी प्रस्तुत की गई। इस पत्र की प्रतिलिपि व 11 पेज की जानकारी अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है। अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि आज ही उन्हें उक्त पत्र तथा संलग्न जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
- प्रकरण की द्वितीय सुनवाई दिनांक 07-07-2017 को, प्रस्तुत पत्र तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार जन सूचना अधिकारी की ओर से निम्नानुसार जानकारी व जवाब अपीलार्थी को प्रदाय किया गया है। जो कि अपीलार्थी ने प्राप्त होना स्वीकार किया है।
 - 1- अधिग्रहण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।
 - 2- वाहनों के पंजीयन से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।
 - 3- वाहनों के बीमा संबंधी कागजातों की प्रतिलिपि संलग्न है।
 - 4- परिवहन विभाग द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाण पत्रों की प्रति उपलब्ध नहीं है। संलग्नक निरंक।
 - 5- परिवहन विभाग द्वारा जारी व्यवसायिक उपयोग संबंधी परमिट की प्रति उपलब्ध नहीं है। संलग्नक निरंक।
- अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी की ओर से कार्यालय में उपलब्ध तीन बिन्दुओं से संबंधित जानकारी निःशुल्क प्रदाय कर दी गई है तथा बिन्दु क्रमांक 04 एवं 05 से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई है। अपीलार्थी द्वारा भी उपरोक्त दर्शित विवरण अनुसार जानकारी प्राप्त होना स्वीकार किया गया है। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपर कलेक्टर एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दन्तेवाड़ा

पृ०क०/३६७६/सू०अ०/अपील/२०१७
प्रतिलिपि :-

दन्तेवाड़ा दिनांक 12 -07-2017

- 1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- श्री सुभाष यादव, कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 11 दन्तेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ लेख है कि इस आदेश के विरुद्ध यदि आप चाहें तो निम्नलिखित पते पर, 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील कर सकते हैं।
- 3- डी०आई०ओ०एन०आई०सी० केन्द्र जिला कार्यालय दन्तेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पता:-

मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ०ग०)

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा

श. सुभाष
स.ज. सु. म. वि.
जि. प. उ. रा. अ. स. 1
12-7-17